



नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
फोन: 01509-223873
ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone No.: 01509-223873
Email ID-ago.csfsuratgarh@gmail.com

सी.एस.एफ./एस.ओ.जी./2-65/भाग-II/कृषि/2022-23

दिनांक: 15.02.2023

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानगर (राजस्थान) में रबी 2022-2023 में बोई गयी **मूली 2.00 एकड़, अलसी 77.50 एकड़, सरसों 3406.50 एकड़ व चना 3932.25 एकड़ की कटाई, थ्रैशिंग** करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद ऑफलाइन निविदायें **दिनांक 22.02.2023 को 01:00 बजे तक** आमंत्रित की जाती हैं जो कि उसी दिन दोपहर 03:00 बजे मुख्यालय सूरतगढ़ में खोली जाएंगी | इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं | निविदायें देने से पहले NEFT/RTGS/ऑनलाईन माध्यम से (जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो) निविदा फॉर्म शुल्क रुपये 236/- और धरोहर राशि रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के लिये जमा करनी होगी | निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति देनी होगी | निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है | सफल निविदादाता को छोड़ी गई फसल कटाई की कुल रकम की 25 प्रतिशत रकम कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करवानी होगी तथा असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा करवा दी जायेगी |

प्रबंधक (उत्पादन)

निविदा प्रपत्र

दिनांक: 22.02.2023

फार्म निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

विषय:- रबी 2022-2023 की फसलों की हाथ से कटाई/गहाई के लिए टेन्डर.

कार्य का विवरण :- खेतों की खड़ी फसल को काटना, इकट्ठा करना, सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोडिंग सेंटर तक पहुंचाना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा ठेकेदार को फार्म को देने-लेने के रुपये अंकित करना अनिवार्य है। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होने तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगे बाहर नहीं जायेगा।

ब्लॉक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में)	दर प्रति एकड़ (रूपयों में)	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
मूली फसल				
ब्लॉक 3	EPO	2.0		
TOTAL :-		2.0		
अलसी फसल				
ब्लॉक 1	38 STG	30.0		
TOTAL :-		30.0		
ब्लॉक 2	31 B PBN	30.5		
TOTAL :-		30.5		
ब्लॉक 3	34 PBN	5.0		
	EPO	12.0		
TOTAL :-		17.0		
G.TOTAL		77.5		
सरसों फसल				
ब्लॉक 1	35 STG	83		
	37 STG	116		
	38 STG	145		
	39 STG	199		
	40 STG	309		
	41 STG	56		
	42 STG	274		
	44 STG	433		
	BRP-1	109		
TOTAL :-		1724		
ब्लॉक 2	RPM-1	162		
	RPM-2	75		
	RPM-3	200		
	RPM-4	380		
	31 B PBN	80		
	33 PBN	187.5		
TOTAL :-		1084.5		
ब्लॉक 3	34 PBN	371		

	3 SGM	123		
	4 SGM	104		
TOTAL :-		598		
G.TOTAL		3406.5		
चना फसल				
ब्लॉक 1	35 STG	67		
	37 STG	402		
	38 STG	257		
	39 STG	258		
	40 STG	140		
	41 STG	169		
	42 STG	70		
	44 STG	56		
	BRP-1	304		
TOTAL :-		1723		
ब्लॉक 2	RPM-1	326		
	RPM-2	423		
	RPM-3	250		
	RPM-4	210		
	31 B PBN	336		
	33 PBN	240		
TOTAL :-		1785		
ब्लॉक 3	34 PBN	263.25		
	3 SGM	119		
	4 SGM	42		
TOTAL :-		424.25		
G.TOTAL		3932.25		

नोट: फसलों का एरिया वर्तमान स्थिति के अनुसार दिया गया है, यह काम या ज्यादा हो सकता है |

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....
नाम व पूरा पता:.....
.....
मोबाईल न0.....
निविदादाता का बैंक खाता संख्या
IFSC CODE/BRANCH NAME
.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)
रबी 2022-23 फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता/बोलीदाता को रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के लिये धरोहर राशि के रूप में फार्म खाते में (नियम-शर्त क्रमांक 20 के अनुसार) जमा करने होंगे | यदि कोई व्यक्ति/फर्म एक से ज्यादा चक के लिये दरें भरना चाहता है तो एक ही बार में सम्पूर्ण धरोहर राशि (रुपये 10,000 X जितने चकों की दरें निविदा में भरनी हैं) जमा करनी होगी | बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी |
2. निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है |
3. **सफल बोलीदाता/निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि के रूप में फार्म खाते में जमा करवाना होगा | सफल बोलीदाता/निविदादाता के द्वारा निविदा में जमा की गई धरोहर राशि अमानत राशि के रूप में परिवर्तित की जा सकती है | जमा अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के पश्चात बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी | आवंटित क्षेत्र की 25% राशि कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करवानी होगी एवं शेष 75% राशि थ्रेशिंग शुरू करने से पहले जमा करवानी होगी | रकम जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी | असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा करवा दी जायेगी |**
4. निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख का होगा |
5. दिया गया एरिया काम या ज्यादा हो सकता है |
6. सरसों, अलसी, मूली व चना फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी |
7. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होंगे, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होंगे, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा | कटी हुई सरसों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा |
8. सरसों, अलसी, व मूली की थ्रेशिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व चने की थ्रेशिंग फार्म कम्बाइन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा |
9. अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोडिंग सेन्टर पर पहुंचाना होगा | संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी |
10. ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा | नीरा सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करने पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें |
11. कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा | फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है | यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी |
12. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी |
13. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा |

14. फसलों की कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।
15. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्च से खरीद कर ,सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करेगा।
16. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा, फार्म लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
17. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
18. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
19. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
20. फर्मों द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खाते का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572

IFSC Code : SBIN0007774

Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH

Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

21. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

.....

निविदादाता के हस्ताक्षर